ক্রদাক

पत्रावली संख्या 5063

पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोच्छ)

मुख्य प्रशासनिक मदन चोस्ट आफिस-नौएडा नीएडा संक्टर-६ जनपद-गाजियाबाद (३०५०)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवीन ओखला विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश

ब्रिय महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि वास्तुविद/अभियन्ता/नवशानवीस/समूह को क्रिक्स + का अर्थ लाईसेन्स संख्या (१०/१०/१० के पर्यवेक्षण में पूरे किये गये 📉 सेक्टर में भूखण्ड संख्या W-140 19 पर भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/गिराये जाने के काम का इस प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है तथा घोषणा करता हूं कि सम्बन्धित लाईसेन्सधारी के तकनीकी कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाणपत्र तथा समापन प्रमाणपत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अन्तिसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिमोग के योग्य है।

यह अधिभोग पत्र दिनांक. 22 17 9 6. को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आबंटी द्वारा भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ फेर बदल किया/किये जाते हैं तो उसके विरुद्ध उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित होगी।

भवदीय.

नौएडा Sr. P. E